

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज०)

पकरण संख्या :- 294/2022

तारीख दायर 29.11.2022

1. नरेश कुमार पिता मांगीलाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी फतेहनगर तहसील बिजौलियाँ भीलवाड़ा (राज.)।

.....प्रार्थी

## बनाम्

1. कजोडी पत्नि शंकरलाल जाति बंजारा उम्र वयस्क निवासी बिलोनाबडी तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा(राज.)।
2. दाखी पत्नि उमाशंकर जाति बंजारा उम्र वयस्क निवासी जलेरी तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा।
3. रेशम पत्नि सुरजमल जाति बंजारा उम्र वयस्क निवासी जलेरी तहसील बिजौलियाँ भीलवाड़ा।

.....विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 – 128 रा०ले०रे०एक्ट

:- आदेश :-

दिनांक 29.11.2022

प्रार्थना पत्र ने जरिये अभिभाषक श्री अनिल कुमार धाकड़ एडवोकेट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते भूमि मौजा ग्राम झाडोली पटवार हल्का सलावटिया तहसील बिजौलियाँ की सरहद मे खाता संख्या 114 पर अंकित आराजी संख्या 910/585 रकबा 0.3237 हैक्टेयर स्थित है विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगडा करते है। अतः पत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया जावे साथ में प्रार्थना पत्र की तार्इद में शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत ..... के अवलोकन से प्रार्थी वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार/गैर खातेदार काश्तकार है। पड़ौसियान के विवाद करने बाबत् शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। भू-अभिलेख निरीक्षक सलावटीया को पत्थरगढी बाबत् कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। पत्थरगढी कमिश्नर फीस 500/- रूपये तय किये जाते हैं। प्रार्थी वक्त पत्थरगढी फीस अदा करेगा।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान लेण्ड रेकार्ड एक्ट स्वीकार किया जाकर मौजा ग्राम झाडोली पटवार हल्का सलावटिया तहसील बिजौलियाँ की सरहद मे खाता संख्या 114 पर अंकित आराजी संख्या 910/585 रकबा 0.3237 हैक्टेयर भूमि की बशामलात पड़ौसियान के पत्थरगढी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढी शुल्क राशि 100 /- रूपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियाँ को लिखा जावे।

प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया

उपखण्ड अधिकारी  
बिजौलियाँ भीलवाड़ा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या - 294/2022

तारीख 29.11.2022

दायर

प्रेषिति :-

तहसीलदार

बिजौलियाँ

विषय :- प्रकरण संख्या 294/2022 पत्थरगढ़ी बाबत।

1. नरेश कुमार पिता मांगीलाल जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी फतेहनगर तहसील बिजौलियाँ भीलवाड़ा (राज.)।

.....प्रार्थी

**बनाम्**

1. कजोडी पत्नि शंकरलाल जाति बंजारा उम्र वयस्क निवासी बिलोनाबडी तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)।
2. दाखी पत्नि उमाशंकर जाति बंजारा उम्र वयस्क निवासी जलेरी तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा।
3. रेशम पत्नि सुरजमल जाति बंजारा उम्र वयस्क निवासी जलेरी तहसील बिजौलियाँ भीलवाड़ा।

.....विपक्षीगण

उपर्युक्त विषयान्तर्गत अनवानी प्रकरण में आदेश होकर लेख है मौजा ग्राम झाडोली पटवार हल्का सलावटिया तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या 114 पर अंकित आराजी संख्या 910/585 रकबा 0.3237 हैक्टेयर भूमि की बशमलात पडोसीयान के पत्थरगढ़ी की जावे। विपक्षीगण एवं पडोसी को वक्त पत्थरगढ़ी मोके पर उपस्थित रहने बाबत सुचना दी जावे। मौके पर पत्थरगढ़ी के दौरान कब्जा किसी अन्य का पाया जावे तो जरिये पत्थरगढ़ी कब्जा नहीं हटाया जावे तथा सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु सूचित करें। आदेश पत्थरगढ़ी हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक रा. ल. ब. री. को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस 500/- रूपये वक्त पत्थरगढ़ी प्रार्थी अदा करेगा।

पत्थरगढ़ी कर पालना रिपोर्ट 20 दिन में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करे।

  
उपखण्ड अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी  
बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा